सं०114/आ०ब०/2016
21-1-16

संख्या : 130/आठ-5-16-7विविध/2015

प्रेषक,

पनधारी यादव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 20 जनवरी, 2016

विषय : उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों की सेवा काल में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को सेवायोजित करने के लिये राजकीय कर्मचारियों के लिये लागू उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों की सेवा काल में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को सेवायोजित करने के लिये कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत **"उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित)"** को अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः समस्त विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण प्रश्नगत नियमावली को अंगीकृत करने की कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित करें।

2- उ0प्र0 विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के केन्द्रीयित एवं अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को सेवायोजित करने की कार्यवाही उक्त नियमावली में अंकित प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

3- समस्त प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों द्वारा मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन के फलस्वरूप आने वाला समस्त व्यय-भार सम्बन्धित विकास प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा और इस हेतु शासन द्वारा किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

भवदीय,

(पनधारी यादव)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
2. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
3. निदेशक अनुश्रवण, आवास बन्धु को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त आदेश समस्त सम्बन्धितों को फैक्स/ई-मेल से भिजवाने का कष्ट करें।
4. गार्ड-बुक।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)
विशेष सचिव।

21.1.16

Basant GO-2015